'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगट भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिंताई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2012-2015.''

# छत्तीसगढ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जून 2014-- ज्येष्ट 28, शक 1936

# नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 14 की उप-धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में -

- 1. नियम 40 के पश्चात्, शीर्षक "अध्याय 7-निर्वाचन के लिए मतदान तथा मतों का दिया जाना" को विलोपित किया जाये !
- 2. नियम 41 में, शब्द "मतपत्र" के पश्चात्, शब्द "या मतदान मशीन जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाये" अन्त:स्थापित किया जाए।
- 3. नियम 41 के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक जोड़ी जाये, अर्थात् :-
  - "अध्याय ७-निर्वाचन के लिए मतपत्रों द्वारा मतदान तथा मतों का दिया जाना"
- 4. नियम 42 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-
  - "42-क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें.-इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट वार्डों में, यथा विनिर्दिष्ट रीति में मशीनों द्वारा मत दिया जायेगा और अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इन नियमों के प्रयोजन के लिए "मतदान मशीन" से अभिप्रेत है कोई भशीन या संयंत्र जो इलेक्ट्रॉनिकली या अन्यथा चलाया जाता है, का उपयोग मत देने और अभिलिखित करने में किया जाता है और इन नियमों में मतपेटी या मतपत्र के बारे में अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब भी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन का उपयोग किया जाए, ऐसी मतदान मशीन के संदर्भ को सम्मिलित करते हुए अर्थ लगाया जाएगा।"

- 5. नियम 48 के उप—नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात:—
  " परन्तु यह कि मतदाता, पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान
  अधिकारी के समक्ष, ऐसे पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करेगा
  जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।"
- 6. अध्याय ७ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :--

### "अध्याय ७-क

### मतदान मशीनों द्वारा मतदान

- 63—क. मतदान मशीन की डिजाइन.— प्रत्येक मतदान मशीन में एक कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये ।
- 63—ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.— (1) मतदान मशीन की मतदान इकाई में ऐसा विवरण और ऐसी भाषा या भाषाएं अन्तर्विष्ट होंगी जैसी कि निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें।
- (2) मतदान इकाई पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगें जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आए हों।
- (3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक जैसे है, तो वे उनके उपनाम, पिता का नाम, आजीविका या निवास को जोड़ते हुए या अन्य रीति से सुभिन्न किए जाएंगे।
- (4) इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन रहते हुऐ, रिटर्निंग आफिसर –
- (क) मतदान यूनिट में, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेबल, जिसमें उनके नाम और प्रतीक अंतर्विष्ट होंगे, चिपकायेगा तथा उस यूनिट को अपनी सील, और चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता जो अपनी सील लगाना चाहते हों, की सील लगाकर, सुरक्षित करेगा।
- (ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कमांकित (समुच्चय) करेगा और नियंत्रण यूनिट में अभ्यर्थी, सेट सेक्शन (समुच्चय अनुभाग) बंद करेगा तथा इसे अपनी सील और चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या वहां उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ता, जो अपनी सील लगाना चाहते हों, की सील लगाकर सुरक्षित करेगा।
- **63-ग. मतदान केन्द्र पर व्यवस्थायें.** (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित किया जायेगा
  - (क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस, और
  - (ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति,

- (2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या एक से अधिक मतदान कक्ष होंगे जिनमें अपना मत निर्वाद रूप से अभिलिखित कर सकेंगे।
- (3) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसी संख्या में मतदान मशीनों को उपलब्ध कराएगा जिससे कि वार्ड के समस्त चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित विशिष्टियां प्रादर्श और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग और अन्य ऐसी चुनाव सामाग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हों, समायोजित कर सके और मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मशीन उपलब्ध करने के मामले में, वे एक दूसरे से संसक्त होंगे जिससे कि वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई बना सकें।
- (4) उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसी परिसर में अवस्थित दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामूहिक वोटिंग मशीन उपलब्ध करा सकेंगे।
- 63—घ. मतदान केन्द्र में प्रवेश.— पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय में मतदाता को प्रवेश की अनुमित देंगे और वहां से, निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए, अन्य सभी व्यक्तियों को अलग कर देंगे—
  - (क) मतदान अधिकारियों;
  - (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक;
  - (ग) निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
  - (घ) अभ्यर्थीगण उनके निर्वाचन अभिकर्तागण और नियम 34 के उपबंधों के अध्यधीन
     प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;
  - (ड.) किसी मतदाता के साथ गोद वाला बालक;
  - (च) अंधे या विकलांन मतदाता जो बिना सहायता के चल नहीं सकता, के साथ एक और व्यक्ति; तथा
  - (छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 63—च के उप—नियम (2) या नियम 63—छ के उप—नियम (1) के अधीन नियोजित करे।
- 63—ङ मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना.— (1) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक लेबल रहेगा जिसमें अंकित रहेगा—
  - (क) अनुक्रमांक, यदि कोई हो, और वार्ड का नाम;

- (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के, सरल क्रमांक और मतदान केन्द्र का नाम:
- (ग) यूनिट का अनुक्रमांक; और
- (घ) मतदान की तारीख.
- (2) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही किसी मतदाता का कोई मत अभिलिखित नहीं है और इसमें, नियम 63— ख के उप—नियम (4) में निर्दिष्ट नामपत्र (लेबल) लगा है।
- (3) मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए कागज की एक सील का उपयोग किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी कागज की सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित ऐसे मतदान अभिकर्ता जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के भी हस्ताक्षर कराएंगे।
- (4) इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस तरह हस्ताक्षरित कागज की सील को वोटिंग मशीन की नियंत्रण यूनिट में उसके लिए आशयित स्थान में लगा देंगे और उसे सुरक्षित कर, सील करेंगे।
- (5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई सील ऐसी रीति में लगाई जायेगी कि यूनिट सील होने के पश्चात् बिना सील तोड़े "परिणाम बटन" दबाया जाना संभव नहीं हो।
- (6) नियंत्रण यूनिट बंद की जाएगी और सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं के ठीक सामने रखी जायेगी तथा मतदान यूनिट, मतदान कक्ष में रखी जायेगी।
- 63—च. महिला मतदाताओं के लिये सुविधाएं.— (1) जहां मतदान केन्द्र, पुरूष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिये हों, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि वे मतदान केन्द्र में बारी—बारी से महिलाओं तथा पुरूषों की पृथक—पृथक टोलियों में घुसने दें।
  - (2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी मतदान केन्द्र में किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं के संबंध में मतदान करने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, यदि आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए, नियुक्त कर सकेगा।
- **63–छ. मतदाताओं की पहचान.** (1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए या मतदान करने में अन्यथा उन्हें सहायता देने के लिए नियोजित कर सकेगा।
  - (2) जैसे—जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करें, वैसे—वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टियों से मिलाएगा और तब वह मतदाता का कमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा। मतदाता पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त

प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष ऐसे पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज पेश करेगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (3) मतदान करने के किसी व्यक्ति के अधिकार विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की गई मात्र कोई लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा- करेगा, यदि उसका समाधन हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की उसी मतदाता के रूप में पहचान की गई है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।
- 63—ज. पहचान (अनन्यता) के बारे में अभ्याक्षेप .— (1) कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान (अनन्यता) के संबंध में अभ्याक्षेप, सर्वप्रथम प्रत्येक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रूपये की राशि निक्षेप (जमा) करते हुए, कर सकेगा।
  - (2) पीठासीन अधिकारी, ऐसे निक्षेप किए जाने पर -
    - (क) उस व्यक्ति को, जिसके लिये ऐसा अभ्यक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगाः
    - (ख) मतदाता सूची में की गई सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;
    - (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची में प्ररूप—15क में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा: और
    - (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा।
  - (3) तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—
    - (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप का साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी पहचान (अनन्यता) के सबूत में साक्ष्य दें;
    - (ख) व्यक्ति, जिसके लिये अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी पहचान (अनन्यता) स्थापित करने के प्रयोजन के लिए कोई भी आवश्यक प्रश्न उससे पूछ सकेगा और शपथ पर उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और
    - (ग) व्यक्ति, जिसके लिये अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रत्यशा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।
  - (4) यदि जांच के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति मत देने की अनुज्ञा देगा और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

- (5) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छतापूर्ण है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो निर्देश देगा कि उप—नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप शासन के पक्ष में राजसात कर दिया जाए और अन्य दशाओं में, वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।
- 63—झ. प्रतिरूपण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय.— (1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बारे में यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया हैं, अपनी बांई तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा नाखून के मूल में यथासंभव निकटम स्थान पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा जिससे कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर फैल सके।
  - (2) यदि कोई मतदाता, उप—िनयम (1) के अनुसार अपनी बाई तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी बाई तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने का कोई कृत्य करता है, या नियम 63—छ के उप—िनयम (2) द्वारा यथा अक्षेपित अपना पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावंज प्रस्तुत करने में विफल होता है या प्रस्तुत करने से इंकार करता हैं, तो उसे मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
  - (3) इन नियमों में मतदाता की बाई तर्जनी के किसी संदर्भ से, उस दशा में जिसमें मतदाता की बाई तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानों वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली संदर्भित है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उगलियां न हो, वहां यह समझा जायेगा कि यह संदर्भ उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के लिए संदर्भित है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हो वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बाई या दाहिने भुजा के ऐसे अग्रतन भाग संदर्भित है, जो वह धारण करता हो।
- 63—ञ. मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रकिया.— (1) मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने के पूर्व, मतदान अधिकारी—
  - (क) नियम 50 (4) (क) में यथा उपबंधित प्ररूप—14क में मतदाता रजिस्टर में मतदाता की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता की मतदाता सूची क्रमांक अभिलिखित करेंगे;
  - (ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेंगे; और
  - (ग) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम पर चिन्ह लगाएगा जिससे यह दर्शित होगा कि उसे मत देने की अनुमति दी गई है :

परन्तु किसी भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक की उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान, मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त न कर लिया गया हों।

- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाता रिजस्टर पर मतदाता के अंगूठा निशान का सत्यापन करें।
- 63—ट. मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा और मतदान प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.— (1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए एतद्पश्चात् अभिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।
  - (2) मतदान की अनुमित मिलते ही मतदाता, पीटासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट प्रभारी हैं, के पास जाएगा, जो समुचित बटन दबाकर मतदाता को मतदान अभिलिखित करने के लिए, मतदान यूनिट चालू कर देगा।
  - (3) तद्पश्चात् मतदाता तत्काल -
    - (क) मतदान कक्ष में पहुंचेगा;
    - (ख) उस अभ्यर्थी, जिसके लिए मतदान करने का उसका आशय है, के नाम और प्रतीक के सामने वाली मतदान यूनिट के बटन को दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा तथा यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता है, तो वह मतदान मशीन में ''उपर्युक्त में से कोई नहीं' का बटन, यदि हो, को दबा कर अपना मत अभिलिखित कर सकेगा; और
    - (ग) मतदान कक्ष के बाहर आएगा और मतदान केन्द्र से चला जायेगा।
  - (4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा।
  - (5) किसी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुगति उस समय नहीं दी जायेगी जब दूसरा मतदाता अंदर हो।
  - (6) यदि कोई मतदाता, जिसे मतदान करने की अनुमित मिल गई हो, नियम में अभिकथित प्रिक्रिया का पालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी इंकार करता है, ो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर मतदान अधिकारी, ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमित नहीं देगा।
  - (7) जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमित नहीं दी जाती है तब इस आश्रय का. कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, मतदाता रिजरटर में प्ररूप—14क में उस मतदाता के नाम के सामने एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी और जिसमें उनके हस्ताक्षर होंगे।
- 63—ठ. नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना.— (1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाए कि अधेपन या अन्य किसी शारीरिक अशक्तत। के कारण कोई मतदाता, मतदान मशीन की मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी उसे अनुमति देगा कि वह अपना एक साथी जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो अपनी ओर से, अपनी इच्छा के अनुसार, मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जा सकेगा:

परन्तु किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह और कि इस नियम के अंतर्गत जिस दिन किसी व्यक्ति के साथी के रूप में काम करने की अनुमित दी जाए तब पहले उसे यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा मतदाता की ओर से अभिलिखित किये जाने वाले मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के साथी के रूप में काम नहीं किया है।

- (2) पीठासीन अधिकारी इन नियमों के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप—16क में रखेगा।
- 63—ड. निविदत्त मत.— (1) यदि कोई दूसरा व्यक्ति मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो, उसके बाद कोई व्यक्ति स्वयं को वह मतदाता विशेष बताकर मतदान करने आता है तो वह उसकी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के बाद मतदान यूनिट द्वारा मतदान करने की अनुमित देने के स्थान पर उसे निविदत्त मतपत्र दिया जायेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और उसका विवरण ऐसी भाषा या भाषाओं में होगा जिसे निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें। ऐसे निविदत मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी द्वारा शब्द निविदत मतपत्र पृष्ठांकित किये जायेंगे और उनके द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे।
  - (2) ऐसे प्रत्येक मतदाता को निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पहले प्ररूप—17क में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने उसका नाम लिखेगा एवं हस्ताक्षर करेगा अथवा अंगूठे का निशान लगाएगा।
  - (3) मतपत्र प्राप्त करते ही तुरंत उसे-
    - (क) मतदान कक्ष में जाना होगा;
    - (ख) वहां मतपत्र पर इस प्रयोजन हेतु दिए गये उपकरण या वस्तु द्वारा कास का चिन्ह "X" अभ्यर्थी, जिसको मत देने का चाहता है, के प्रतीक पर या निकट लगाकर अपना मतदान अभिलिखित करेगा;
    - (ग) मतपत्र इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए,
    - (घ) यदि आवश्यक हो, तब मतपत्र पर सुभिन्नक चिन्ह पीठासीन अधिकारी को दिखाएगा;
    - (ड.) इसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गये लिफाफें में रखेगा; और
    - (च) मतदान केन्द्र के बाहर चला जाएगा।

- (4) यदि नेत्रहीन या शारीरिक रुप से निःशक्तता के कारण, ऐसा मतदाता बिना सहायता के मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ रहता है, तो पीठासीन अधिकारी उसे उसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा नियम 63—ड में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एक साथी ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार उसका मत अभिलिखित करेगा।
- 63—ढ. मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी का मतदान कक्ष में प्रवेश.— (1) पीठासीन अधिकारी, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, मतदान के दौरान मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे कदम उठा सकेगा जो यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में छेड़छाड़ नहीं की गई है या किसी अन्य प्रकार से बाधा नहीं पहुँचाई गई है।
  - (2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह हो कि कोई मतदाता जो मतदान कक्ष में प्रवेश कर चुका है वह मतदान यूनिट में छेड़छाड़ कर रहा हैं या अन्यथा बाधा डाल रहा है या मतदान कक्ष के भीतर अनावश्यक लम्बी अविध तक है तो वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जो मतदान की प्रगति साधारणतया शांतिपूर्ण और नियमानुसार रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो।
  - (3) जब कभी भी पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा तो वह उपस्थित मतदान अभिकर्ता को, यदि वे वांछा करे तो साथ चलने की अनुमति देगा।
- 63—ण. मतदान का बंद किया जाना.— (1) पीठासीन अधिकारी, इस निमित्त निर्धारित समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा और उसके बाद, वह किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगाः

परंतु यह कि सभी मतदाता जो मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पूर्व उपस्थित हों, उन्हें अपना मतदान करने की अनुमित दी जाएगी।

- (2) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पूर्व उपस्थित था तो इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 63—त. अभिलिखित मतों का लेखा.— पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने पर प्ररूप—18क में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा और इसे अलग लिफाफे में रख कर उसके ऊपर "अभिलिखित मतों का लेखा" लिखेगा।
- 63—थ. मतदान के बाद मतदान मशीन का सीलबंद किया जाना.—(1) यथासाध्य शीघ्र, मतदान बंद होने के बाद, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मतदान अभिलिखित न हो सके, नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट कन्ट्रोल यूनिट से अलग कर देगा।

- (2) इसके बाद कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट सीलबंद कर दिये जाएंगे और उन्हें ऐसी रीति में अलग—अलग सुरक्षित रखा जाएगा जैसा कि निर्वाचन आयोग निर्देशित करें और उन्हें सुरक्षित रखने वाली सील ऐसी चिपकाई जाएगी कि बिना सील तोड़े यूनिट का खोलना संभव नहीं होगा।
- (3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों, को भी ऐसा करने की अनुमति दी ज़ाएगी।
- **63—द. अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.** (1) तत्पश्चात्, पीठासीन अधिकारी निम्नानुसार अलग—अलग पैकेट बनाएगा—
  - (क) मतदाता सूची की मार्क की हुई प्रति;
  - (ख) मतदाता रजिस्टर:
  - (ग) निविदत्त मतपत्रों को तथा प्ररुप-17क को अंतर्विष्ट करने वाले लिफाफा
  - (घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची,
  - (ड.) शेष बचे हुए निविदत्त मतपुत्र जो उपयोग में नहीं लाए गए, और
  - (च) कोई अन्य कागजात, जिन्हें सील्ड पैकेंट में रखने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया हो।
  - (2) ऐसा प्रत्येक पैकेट, पीठासीन अधिकारी की सील द्वारा तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और जो अपनी सील लगाने का इच्छुक हो, की सील लगाकर सीलबंद किए जायेंगे।
- **63-ध. मतदान मशीने आदि रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना.** (1) इसके बाद, पीठासीन अधिकारी ऐसे स्थान पर रिटर्निंग आफिसर को मतदान मशीन सौप देगा या सौपने के लिए भेज देगा, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर निर्देश दे—
  - (क) मतदान मशीन;
  - (ख) अभिलिखित मतों का लेखा;
  - (ग) नियम 63-ध में निर्दिष्ट सील्ड बंद पैकेट्स; और
  - (घ) सभी अन्य कागजात जिनका उपयोग मतदान में हुआ है।
  - (2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेट्स तथा अन्य कागजातों को मतगणना प्रारंभ होने तक के लिये सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिये सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेगा।
- 63—न. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन एवं उसका पुनः आरम्भ.— (1) यदि किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि किसी निर्वाचन में किसी केन्द्र में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो रिटर्निंग आफिसर या ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख़ तक मतदान स्थिगत किये जाने की घोषणा करेगा और जहां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान इस प्रकार स्थिगत किया जाता है, वहां वह संबंधित रिटर्निंग आफिसर को तत्काल सूचित करेगा।
  - (2) जब कभी मतदान उप—नियम (1) के अधीन स्थिगित किया जाए तब रिटर्निंग आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग यथा शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिस पर मतदान पुनः आरंभ होगा और वह मतदान केन्द्र, जहां, तथा वह समय-जिसके भीतर, मतदान कराया जाएगा, नियत करेगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे निर्वाचन में

दिए गए मतों की गणना तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा मतदान पूरा न हो गया हो।

- (3) स्थिगित मतदान की दशा में पीठासीन अधिकारी मतदान मशीन और अन्य पैकेटों के सील बंद करने, अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करने, और मतदान मशीन तथा अन्य मतदान सामग्री को परिदत्त करने में नियम 63—थ से 63—न के उपबंधों का यथाशीघ्र उसी प्रकार अनुसरण करेगा मानो कि मतदान नियम 21 के अधीन इस निमित्त नियत समय पर बंद हुआ है।
- (4) यथा पूर्वोक्त प्रत्येक मामले में, जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए ऐसी रीति में जैसा कि निर्वाचन आयोग निर्देशित करें, और ऐसी तारीख, स्थान एवं समय, जो उप—नियम (2) के अधीन नियत किया गया है, अधिसूचित करेगा और मूल मतदान को शासित करने वाले नियमों के उपबंध इस नियम के अधीन पुनः प्रारंभ किये गये मतदान के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (5) जब कोई मतदान जिसे उप—नियम (1) के अधीन स्थगित कर दिया गया था पुनः आरंभ किया जाता है तो उन मतदाताओं को, जिन्होंने इस प्रकार स्थगित मतदान के पहले ही अपने मत दे दिये हों, पुनः मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
- (6) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केंद्र, जिस पर स्थिगत मतदान आरंभ किया जाए, के पीठासीन आधिकारी को सील बंद पैकेट, जिसमें मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति, प्ररूप–14क में मतदाता रिजस्टर, और एक नई मतदान मशीन देगा।
- (7) पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची के चिन्हांकित प्रति का सील बंद पैकेट खोलेगा और उस समय, शेष रहे मतदाताओं के नाम, जिन्हें मतदान की अनुङ्गा दी जाती है, चिन्हित करने के लिए उपयोग करेगा।
- (8) नियम 63-क से 63-न के उपवध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि मतदान के संबंध में उसे इस प्रकार स्थगित किये जाने के पूर्व लागू थे।
- 63—प. बूथ पर कब्जा करने की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना.— जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियंत किसी स्थान पर, बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह तुरंत मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आगे कोई मतदान अभिलिखित न हो सके और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।
- 63—फ. मतदान मशीन की क्षति, विनष्ट हो जाने या गड़बड़ी आदि होने की दशा में या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नया मतदान.—
  - (1) यदि किसी निर्वाचन में
    - (क) मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई कोई मतदान मशीन, पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके से निकाल ली जाती है या घटनावश या सआशय विनिष्ट हो जाती है या खो जाती है अथवा उसे इस सीमा तक क्षति पहुंचाई जाती है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके; या

- (ख) मतदान केन्द्रों में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह संभाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए, तो रिटर्निंग ऑफिसर उस मामले की रिपोर्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को तत्काल करेगा ।
- (2) निर्वाचन आयोग उप—नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त सारवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो —
  - (क) उस मतदान क्रेन्द्र में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में नवीनतम मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देगा कि वह ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसे रीति से अधिसूचित करे, जैसा वह ठीक समझे, या
  - (ख) यदि उसका यह समाधन हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र में मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता सारवान नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा जैसा कि वह उचित समझे।
- (3) उप-नियम (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मामलें में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नये निर्वाचन के संचालन की कार्यवाही करेगा और नियम 63-क से 63-न के उपबंध ऐसे नये निर्वाचन को लागू होंगे।
- 63—ब. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र.— कोई व्यक्ति, जो एक मतदाता के रूप में किसी नगरपालिका में रिजस्ट्रीकृत है और निर्वाचन की तारीख को निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र पर जहां कि वह मतदाता के रूप में मतदान का हकदार है, मतदान करने में असमर्थ है, निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के रूप में जाना जाएगा और उसका मत नियम 63 में यथा उपबन्धित रीति में अभिलिखित किया जाएगा।"
- 7. नियम 67 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :-
  - "67-क. मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण.- (1) रिटर्निंग आफिसर के पास मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट होगा जिसका उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर संवीक्षा और निरीक्षण के लिए किया जायेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना एक साथ होगी।
    - (2) उप—नियम (1) के अधीन किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना के पूर्व, अभ्यर्थी या गणना टेबल पर उपस्थित उसके गणना अभिकर्ता को निरीक्षण करने की अनुमित दी जाएगी कि कागज की सीलें तथा ऐसी अन्य मुख्य सीलें, जो यूनिट पर लगी होंगी उनसे वे संतुष्ट है कि वे ज्यों की त्यों हैं।

- (3) रिटर्निंग आफिसर अपने को संतुष्ट करेगा कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड नहीं की गई है।
- (4) रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और मतदान केन्द्र, जहां उस मशीन का उपयोग हुआ था, के संबंध में यथा लागू नियम 63—फ में अभिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।"
- 8. नियम ६९ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात :--
  - "69-क. मतों की गणना, जब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है.- (1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण युनिट में लगे "परिणाम" अंकित समुचित बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा, जिससे युनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक अभ्यर्थी तथा "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में दिए गए मत प्रदर्शित होगें:

परन्तु किसी लिफाफे को जिसमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट है, खोला नहीं जाएगा और ऐसी किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

- (2) जब प्रत्येक अभ्यर्थी तथा "उपर्युक्त में से कोई नहीं" को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित हो जायेंगे तब रिटर्निंग आफिसर—
  - (क) प्ररूप—18क के भाग—2 में प्रत्येक अभ्यर्थी तथा "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में डाले गए हों, के संबंध में ऐसे मतों की संख्या अलग—अलग अभिलिखित कराएगा.
  - (ख) प्ररूप—18क का भाग—2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणना अभिकर्ताओं द्वारा भी हस्ताक्षर कराएगा, और
  - (ग) परिणाम शीट प्ररूप—21क में तत्स्थानी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट प्ररूप—22क में इस प्रकार दर्ज विशिष्टयों की घोषणा कराएगा।"
- 9. नियम 73 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :--

٠,

"73—क. मतदान मशीन को सील किया जाना.— (1) अन्यर्थीवार नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम सुनिश्चित करने और नियम 69—क के उप—िनयम (2) के खण्ड (ग) के प्ररूप—21क एवं 22क में दर्ज करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर द्वारा, अपनी सील तथा वहां उपस्थित ऐसे अभ्यर्थीगण या उसके निर्वाचन अभिकर्तागण, जो अपनी—अपनी सीलें उस पर लगाने के इच्छुक हों, के सील के साथ नियंत्रण यूनिट को पुनः सील बंद इस तरह किया जायेगा कि मतदान परिणाम जो यूनिट में अभिलिखित हैं मिटने न पाये और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमौरी बनी रहें।

- (2) इस प्रकार सीलबंद नियंत्रण यूनिट को विशेष तौर से बनाई गई पेटी में रखी जायेगी जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात् :--
  - (क) वार्ड का नाम;
- (ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों जहां नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का उपयोग हुआ है का विवरणः
- (ग) नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का अनुक्मांक,
- (घ) मतदान की तारीख; और
- (ड.) मतगणना की तारीख।
- (3) नियम 64 से 66 तथा 70 से 75 के उपबंध जहां तक हो सकें, मतदान मंशीनों द्वारा

मतदान करने के संबंध में लागू होंगें और उन नियमों में कोई संदर्भ:-

- (क) मतपत्र की ऐसी मतदान मंशीन के संदर्भ में यथा सम्मिलित समझा जायेगा ।
- (ख) किसी नियम को, यथास्थिति, नियम 67-क या 69-क या 73-क के तत्स्थानी नियम के संदर्भ के रूप में समझा जायेगा।"
- 10. नियम 77 के पश्चात् निम्नखित नियम अंतःस्थापित किया जाए अर्थात :—
  "77—क. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों की अभिरक्षा.— जिला निर्वाचन अधिकारी, नियम 63—ध तथा 63—न में निर्दिष्ट पैकेटों और उपयोग में लाई गई सभी मतदान मंशीनों की तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कागज पत्रों को, अपनी अभिरक्षा में रखेगा ।"
- 11. नियम 78 के पश्चात निम्नखित नियम अंतःस्थापित किया जाए अर्थात :--
  - 78 क. (1) निर्वाचन संबंधी कांगज पत्रों को प्रस्तुत किया जाना तथा उनका निरीक्षण.-
    - (क) मतदाता सुचियों की चिन्हांकित प्रतियों के लिफाफे;
    - (ख) निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप-17क में उनकी सूची के लिफाफे;
    - (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची;
    - (घ) उपयोग में लाए गए नियंत्रण यूनिट;
    - (ड.) प्ररूप-14क में मतदाता रजिस्टर,
    - (चं) कोई अन्य कागज पत्रों जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा सिल बंद लिफाफे में रखें जाने के लिए निर्देशित किया गया हो;

सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के अलावा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा खोला नहीं जाएगा और उनकी अंतवस्तुओं का निरीक्षण नहीं किया जाएगा और उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

- (2) नियम 76 एवं 79 के उपबंध, जहां तक हो संके, मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों में कोई संदर्भ—
  - (क) मतपत्रों को ऐसी मतदान मशीन के संदर्भ में यथा सम्मिलित समझा जायेगा: तथा
  - (ख) किसी नियम को, यथास्थिति, नियम 77-क एवं 78-क के उप-नियम (1) के संबंध में निर्देश के संदर्भ के रूप में समझा जायेगा ।"

12. प्ररूप–14 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :--

# "प्ररूप-14क (नियम 63-ञ (1)(क) देखिए)

# मतदाता रजिस्टर

नगरपालिक निगम के	महापौर / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत
के अध्यक्ष का निर्वाचन; एवं नगरप	गलिक निगम / परिषद् / नगर पंचायत
	। पार्षद का निर्वाचन और मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम
	मतदाता सूची के भाग संख्या

सरल	मतदाता सूची में मतदाता का सरल कमांक	मतदाता के	टिप्पणियां
कमांक		हस्ताक्षर / अंगूठे	
		का निशान	;
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			<del></del>
3.			
4.			

_		_	$\sim$	
ड	त्र	П	द	

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

<sup>\*</sup>जो विकल्प अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"

13. प्ररूप–15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :--

# "प्ररूप-15क

(नियम 63-ज (2) (ग) देखिए)

प्राविष्टि का	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रा		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के हस्ताक्षर या
सरल क्रमांक		मतदाता सूची का भाग संख्या.	मतदाता का सरल क्रमांक	अंगूठे का निशान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
.1.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.		·		
3:				
4.				
5.				
अम्याक्षेपित व्यक्ति का नाम	पहचानकर्ता, यदि कोई हो, का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नारीख				

\*जो विकल्प अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"

14. प्ररूप–16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :-

\*जो विकल्प-अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"

### प्ररूप-16क

(नियम 63-ठ (2) देखिए)

अंधे / निःशक्त मतदाता के साथी द्वारा धोष	श्णापत्र
नगरपालिक निगमवे महापौर/नगर पालिका परिष	द् / नगर पंचायत
के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम /परिषद्/नगर पंचा	यतके
वार्ड क्रमांकसे पार्षद का निर्वाचन	
में, पिता	
आयुपता	······.
का निवासी, एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि-	
(क) मैंने आज किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के	रूप में कार्य नहीं किया है;
(ख) मैं,एवं भाग संख्या की किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी।	मतदाता सूची का सरल ओर से मेरे द्वारा अभिलिखित
स्थान तारीखपितहस्ताक्षरित पीठासीन अधिकारी	(साथी के हस्ताक्षर) नाम
मतदान केन्द्र क्रमांक	

15. प्ररूप-17 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात :--

# "**प्ररूप—17क** (नियम 63—ड (2) देखिए)

# निविदत्त मतों की सूची

नगरपालिव	क निगम	के महापौर / नगर पालिका	परिषद् / नगर पंचायत	
के अध्यक्ष	का निर्वाचन तथा नगरप	॥लिक निगम /परिषद्/नगर	र पंचायत	के
वार्ड क्रमांव	<b>ह</b> से प	र्षद का निर्वाचन		
मतदान के	न्द्र कमांक और नाम			
मतदाता स्	्वी का भाग संख्या			• • • •,
सरल कमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में मतदाता का सरल कमांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर (प्ररूप—14क) में सरल कमांक जिसने मतदाता के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है।	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			_	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.	,			
9.				
10.				
			L	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
*जो विकल्प अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"	

16. प्ररूप–18 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात :--

# **प्ररूप-18क** (नियम 63-त देखिए)

# भाग-। रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

नगर	पालिक निगमके महापौर / नगर पालिका परि	 बद्/नगर पंचायत .	
के अ	ाध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम /परिषद्/नगर	र पंचायत	के
वार्ड	क्रमांकसे पार्षद का निर्वाचन		
मतदा	ान केन्द्र क्रमांक और नाम		
मतद	ान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या	नियंत्रण यूनिट—	
		मतदान यूनिट-	
1.	मतदान केन्द्र को समनुदेशित मतदाताओं की कुल संख्या		
2.	मतदाताओं के लिए रजिस्टर (प्ररूप-14क) में यथा प्रविष्ट		
	मतदाताओं की कुल संख्या		
3.	नियम 63-ट के उप-नियम (6) के अधीन मतदान करने	के लिए अनुज्ञात	
	न किए गए मतदाताओं की संख्या		
4.	मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल	। संख्या	·····
<b>5</b> .	क्या मद 4 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संर	<b></b>	ामने दर्शित
	मतदाताओं की कुल संख्या से, मद 3 के सामने यथा	दर्शित मतदान कर	ने के लिए
	अनुज्ञात न किए गये मतदाताओं की संख्या को घटाने प	ार, मेल करती है 3	ाथवा देखने
	मे कोई अन्तर आ रहा है		
6.	उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मतपत्र नियम	63—ड के अधीन ज	ारी किए गए
7.	निविदत्त मतपत्रों की संख्या	सरल क्रमांक	·
		से	तक
	(क) प्रयोग के लिए प्राप्त		***************************************
	(ख) मतदाताओं को जारी किये गये		
	(ग) अप्रयुक्त और वापिस किये गये		
8.	पेपर सीलों का लेखा सरल कमांक		

1.	प्रदाय की गयी पेपर सीलों का सरल क्रमांक
	सेतक
2.	प्रदाय किये गये पेपर सील की कुल संख्या
3.	प्रयुक्त पेपर सील की संख्या (सेतक.)
4.	रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की
	संख्या(मद २ मे से मद ३ को घटाएं)
5.	क्षतिग्रस्त पेपर सील की सरल कमांक, यदि कोई हो क्र
	मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	तारीख
	स्थानपीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
	नाम
	मतदान केन्द्र क्रमांक

1: 3

<sup>\*</sup>जो विकल्प अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"

भाग II गणना का परिणाम

सरल कमांक	अभ्यर्थियों के नाम	अमिलिखित मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.	•	
4.		
5.		
6.		
7.	,	
8.		
9.		
	कु	ल

क्या उपर्युक्त दर्शित मतों की कुल संख्या भाग ।	की मद 5 के सामने दर्शित मतों की
कुल संख्या से मेल करती है या दोनों के बीच कोई अन्तर	देखने में आया है ।
तारीख	
स्थान	
	गणना सुपरवाइजर के पूर्ण हस्ताक्षर
अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता / गणन अभिकर्ता के नाम	पूर्ण हस्ताक्षर
1.	
2	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
तारीख	
स्थान	रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर"

17. प्ररूप-21 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात :-

### "प्ररूप-21क (नियम 69-क (2) (ग) देखिए)

	(1 1 4 1 00 1 (2) (1) 41	· · ·
,	गणना का परिणाम	Ī
नगरपालिक वि	नेगमके महापौर/नगर पारि	नका परिषद् / नगर पंचायत
के अध्यक्ष का	निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम /परिष	द्/नगर पंचायतके
वार्ड क्रमांक	से पार्षद का निर्वाचन	
	मतदान केन्द्र क्रमांक	********
	•	
सरल क्रमांक	अम्यर्थी का नाम/उपर्युक्त में से कोई नही	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मर्ती की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	47/	N-1
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		ar yan dan ada a a a a a a a a a a a a a a a
9.		
ंतिम अभ्यर्थी	के पश्चात "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के	विवरण का उल्लेख किया जाए।
	विधिमान्य मतों की कुल संख्या	
	अविधिमान्य मतों की कुल संख्या	•
-	•	
	डाले गये मतों की कुल संख्या	<u> </u>
(चार)	''उपर्युक्त में से कोई नहीं' के पक्ष में या	द डाल गए हा कुल मता का संख्या
ान		
ोख	···········	गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर नाम रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्ष

<sup>\*</sup>जो विकल्प अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए।"

### 18. प्ररूप-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात :-

### प्ररूप-22क (नियम 69-क (2) (ग) देखिए)

# अन्तिम परिणाम पत्र

नगरपालिक <b>निगम</b>	के महापौर / नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत
के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा	नगरपालिक निगम /परिषद्/नगर पंचायतके
वार्ड क्रमांक	से पार्षद का निर्वाचन
l.	

सरल कमांक	अभ्यर्थी का नाम/इनमें से कोई नहीं	अम्यर्थी के पक्ष में डाले गए	अम्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतो की संख्या / मतदान केन्द्रवार			महायोग
		विधिमान्य निर्वाचन कर्तच्य मतों की संख्या	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.				<del></del>		

\*अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के विवरण का उल्लेख किया जाए।

- 2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
  - (दो) डाले गये मतों की कुल संख्या
  - (तीन) विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
  - (चार) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तय्य मतों की कुल संख्या
  - (पांच) डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
  - (छः) "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में डाले गए मतों की कुल संख्या

नाम रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर नाम

\*जा विकल्प अप्रयाज्य हा उस काट दाजिए।'

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम्. एम. मिंख, उप-सन्त्रिय.

#### रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

क्रमांक एफ 1-5/2014/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2014/18, दिनांक 18-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

#### Raipur, the 18th June 2014

#### **NOTIFICATION**

No. F 1-5/2014/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 14 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of Section 32 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, namely:-

# **AMENDMENT**

### In the said rules,-

- 1. After rule 40, the heading "CHAPTER VII-POLL AND VOTING FOR ELECTION" shall be omitted.
- 2. In rule 41, after the word "ballot", the words "or voting machine as directed by the Election Commission" shall be inserted.
- 3. After rule 41, the following heading shall be added, namely:-

# "CHAPTER VII-POLL AND VOTING BY BALLOTS FOR ELECTION".

- 4. After rule 42, the following shall be added, namely:-
  - "42-A. Voting machines at elections.-Notwithstanding anything contained in these rules, the Election Commission may issue order that in specified wards, the giving and recording of votes shall be by voting machines in the manner as may be prescribed.
  - **Explanation** -For the purpose of these rules "Voting Machines" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise, used for giving and recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in these rules shall save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in the election."

- 5. After sub-rule (2) of rule 48, the following proviso shall be added, namely:-
  - "Provided that the voter shall produce such identity-card or other identity document as specified by the Election Commission before the Presiding Officer or the Polling Officer authorised by him in this behalf."
- 6. After Chapter-VII, the following Chapter shall be inserted, namely:-

#### "CHAPTER VII-A

#### **VOTING BY VOTING MACHINES**

- **63-A.** Design of voting machines.-Every voting machine shall have a control unit and balloting unit and shall be of such design as may be approved by the Election Commission.
- 63-B. Preparation of voting machine by the Returning Officer.- (1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and in such language or languages as the Election Commission may specify.
- (2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.
- (3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their surname, father's name, occupation or residence or in some other manner.
- (4) Subject to the foregoing provisions of these rules, the Returning Officer shall
  - (a) fix the label containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.
  - (b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of

such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

- **63-C.** Arrangements at the polling stations.- (1) Outside each polling station there shall be displayed prominently
  - (a) a notice specifying the polling area, the voters of which are entitled to vote at the polling station and, when the polling area has more than one polling station, the particulars of the voters so entitled; and
  - (b) a copy of the list of contesting candidates.
- (2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the voters can record their votes free from observation.
- (3) The Returning Officer shall provide at each polling station such number of voting machines so as to accommodate and exhibit required particulars of all the contesting candidates of a ward and copies of relevant part of the voters list and such other election material as may be necessary for taking the poll and in case more than one machine are provided at a polling station, they shall be connected with each other so as to form it a single balloting unit at that polling station.
- (4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) the Returning Officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.
- **63-D.** Entrance to polling station.-The Presiding Officer shall regulate the number of voters, to be allowed at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than
  - (a) Polling Officers;
  - (b) public servants on duty in connection with election;
  - (c) persons authorized by the Election Commission; District Election Officer or Returning Officer;

- (d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 34, one polling agent of each candidate:
- (e) a child in arms accompanying a voter;
- (f) a person accompanying a blind or infirm voter who cannot move without help; and
- (g) such other person as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ under sub-rule (2) of rule 63-F or sub-rule (1) of rule 63-G.
- **63-E. Preparation of voting machine for poll.-** (1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a label marked with
  - (a) the serial number, if any and the name of the ward;
  - (b) the serial number and name of the polling station or stations, as the case may be;
  - (c) the serial number of the unit; and
  - (d) the date of poll.
- (2) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no vote has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4) of rule 63-B.
- (3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine, and the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.
- (4) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the control unit of the voting machine and shall secure and seal the same.

- (5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed; it is not possible to press the "Result Button" without breaking the seal.
- (6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.
- 63-F. Facilities for women voters.- (1) Where a polling station is for both man and woman voters, the Presiding Officer may direct that they shall be allowed into the polling station alternately in separate batches.
- (2) The Returning Officer or the Presiding Officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist woman voters and also to assist the Presiding Officer generally in taking the poll in respect of woman voters and in particular, to help frisking any woman voter in case it becomes necessary.
- **63-G.** Identification of voters.-(1) The Presiding Officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit, to help in the identification of the voters or to assist him otherwise, in taking the poll.
- (2) As each voter enters the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer authorized by him, in this behalf shall check the voter's name and other particulars with the relevant entry in the voters' list and then call out the serial number, name and other particulars of the voter. The voter shall produce such identity card or other identity document as specified by the Election Commission before the Presiding Officer or the Polling Officer authorised by him, in this behalf.
- (3) In deciding the right of a person to cast his vote, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, shall overlook the clerical or printing errors in an entry, in the voters list, if he is satisfied that such person is identical with the voter to whom such entry relates.
- 63-H. Challenging of Identity.-(1) Any Candidate or his election agent or his polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular

voter, firstly by depositing a sum of rupees five in cash with the Presiding Officer, for each such challenge.

- (2) On such deposit being made, the Presiding Officer shall-
  - (a) warn the person challenged of the penalty for personation;
  - (b) read the relevant entry in the voters list in full and ask him whether is the person referred to in that entry;
  - (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form-15A; and
  - (d) require him to affix his signature or mark of thumb in the said list.
- (3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose-
  - (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
  - (b) put to person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
  - (c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.
- (4) If, after the inquiry, the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.
- (5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under subrule (1) be forfeited to Government and in any other case, return to the challenger at the conclusion of the inquiry.
- 63-I. Safeguards against personation.-(1) Every voter about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

- (2) If any voter refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark or fails or refuses to produce the identity card or other identity document as required by sub rule (2) of rule 63-G, he shall not be allowed to vote.
- (3) Any reference in these rules to the left forefinger of a voter shall, in the case where the voter has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall, in the case where all his fingers of both the hands are missing, be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.
- **63-J. Procedure for voting by voting machines.-** (1) Before permitting a voter to vote, the Polling Officer shall
  - (a) record the voters list number of the voter as entered in the marked copy of the voters list in a register of voters in Form-14A as provided in rule 50 (4) (a);
  - (b) obtain the signature or the thumb impression of the voter on the said register of voters; and
  - (c) mark the name of the voter in the marked copy of the voters list to indicate that he has been allowed to vote:

Provided that no voter shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

- (2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, it shall not be necessary for any Presiding Officer or Polling Officer or any other officer to attest the thumb impression of the voter on the register of voters.
- 63-K. Maintenance of secrecy of voting by voters within the polling station and voting procedures.- (1) Every voter who has been permitted to vote shall

maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

- (2) Immediately on being permitted to vote, the voter shall proceed to the Presiding Officer or the Polling Officer incharge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit for recording of voter's vote.
- (3) The voter shall thereafter forthwith-
  - (a) proceed to the voting compartment;
  - (b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote, and in case the voter dose not intended to record his vote in favour of any of the candidates, he shall record his vote by Pressing the button on the balloting unit against "None of the above", if any; and
  - (c) come out of the voting compartment and leave the polling station.
- (4) Every voter shall vote without undue delay.
- (5) No voter shall be allowed to enter the voting compartment when another voter is inside it.
- (6) If a voter, who has been permitted to vote, refuses, after warning given by the Presiding Officer to observe the procedure laid down in the rules, the Presiding Officer or a Polling Officer under the direction of the Presiding Officer shall not allow such voter to vote.
- (7) Where a voter is not allowed to vote, a remark to the effect that voting procedure has been violated shall be made against the voter's name in the register of voters in Form-14A of voters by the Presiding Officer under his signature.
- 63-L. Recording of votes of blind or infirm voters.- (1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities a voter is unable to recognize the symbol on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without

assistance, the Presiding Officer shall permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one voter at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of a voter on any day under this rule, that person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the voter and that he has not already acted as the companion of any other voter at any other polling station on that day.

- (2) The Presiding Officer shall keep a record in Form-16A of all cases under these rules.
- 63-M. Tendered votes.- (1) If a person representing himself to be a particular voter seeks to vote after another person has already voted as such voter, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design, and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify. Such tendered ballot paper and its counterfoil shall be endorsed on the back with the words "Tendered ballot paper" by the Presiding Officer and signed by him.
- (2) Every such voter shall, before being supplied with a tendered ballot paper, write his name and affix his signature or thumb impression against the entry relating to him in Form-17A
- (3) On receiving the ballot paper, he shall forthwith-
  - (a) proceed to the voting compartment;
  - (b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark "X" the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
  - (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

- (d) show to the Presiding Officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper;
- (e) give it to the Presiding Officer who shall place it in a envelop specially kept for the purpose; and
- (f) leave the polling station.
- (4) If, owing to blindness or physical infirmities, such voter is unable to record his vote without assistance, the Presiding Officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in rule 63-L for recording the vote in accordance with his wishes.
- 63-N. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.- (1) The Presiding Officer may, whenever he considers it necessary to do so, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.
- (2) If the Presiding Officer has reason to suspect that a voter who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.
- (3) Whenever the Presiding Officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.
- **63-O.** Closing of poll.- (1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf and he shall not thereafter admit any voter into the polling station:

Provided that all voters present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether a voter was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

- **63-P. Account of votes recorded.-** The Presiding Officer shall, at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in Form-18A and enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded" superscribed thereon.
- **63-Q. Sealing of voting machine after poll.-** (1) As soon as practicable after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.
- (2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed, and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.
- (3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.
- **63-R. Sealing of other packets.-** (1) The Presiding Officer shall, then, make into separate packets
  - (a) the marked copy of the voter list;
  - (b) the register of voters;
  - (c) the cover containing the tendered ballot papers and list in Form-17A
  - (d) the list of challenged votes;
  - (e) the unused ballot papers kept for issue as tendered ballot paper; and
  - (f) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.
- (2) Each such packet shall be sealed with the seal of the Presiding Officer and with the seal either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seal thereon.

- 63-S. Transmission of voting machines, etc., to the Returning Officer.- (1) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the Returning Officer, at such place as the Returning Officer may direct.
  - (a) the voting machine;
  - (b) the account of votes recorded:
  - (c) the sealed packets referred to in rule 63-R: and
  - (d) all other papers used at the poll.
- (2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for the safe custody until the commencement of the counting of votes.
- 63-T. Adjournment of poll in emergency and recommencement thereof.- (1) If at any election the proceedings at any polling station are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at any election it is not possible to take the poll at any polling station on account of any natural calamity, or any other sufficient cause, the Returning Officer or the Presiding Officer for such polling station shall, announce an adjournment of the poll to a date to be notified later and where the poll is so adjourned by the Presiding Officer, he shall forthwith inform the Returning Officer concerned.
- (2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1) the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Election Commission through the District Election Officer and thereupon the Election Commission shall, as soon as may be, appoint the day on which the poll shall recommence and fix the polling station at which and the hours during which, the poll shall be taken. The Returning Officer shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed.
- (3) The Presiding Officer shall follow, as far as practicable, the provisions of rules 63-P to 63-S, in the matter of sealing of voting machine and other packets, preparation of the account of votes recorded and delivery of the voting machine

\*\*

and other polled material, in the case of the adjourned poll, as if the poll were closed at the hour initially fixed in that behalf under rule 21.

- (4) In every such case as aforesaid, the District Election Officer shall notify in such manner as the Election Commission may direct and the date, place & hours of poll fixed under sub-rule (2) and the provisions of the rules governing the original poll shall *mutatis mutandis* apply to the resumed poll under this rule.
- (5) When a poll which was adjourned under sub rule (1), is recommenced, the voters who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.
- (6) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packet containing the marked copy of the voter list, register in Form-14A and a new voting machine.
- (7) The Presiding Officer shall open the sealed packet containing the marked copy of the voters' list in the presence of the candidates or their election agents or polling agents present and use the same for marking the names of the remaining voters who are allowed to vote at the adjourned poll.
- (8) The provisions of rules 63-B to 63-S shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll as they apply in relation to the poll before it was so adjourned.
- 63-U. Closing of voting machine in case of booth capturing. Where the Presiding Officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.
- 63-V. Fresh poll in case of damage, destruction or tampering of a voting machine etc. or due to procedural irregularity.- (1) If at any election-
  - (a) any voting machine used at a polling station is unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer or the Returning Officer or is accidentally or intentionally destroyed or lost or is damaged or

- tampered with to such extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained; or
- (b) any such error or irregularity in procedure as is likely to vitiate the poll, is committed at a polling station, the Returning Officer shall forthwith report the matter to the Election Commission through the District Election Officer.
- (2) The Election Commission shall on receipt of a report under sub rule (1) and after taking all material circumstances into account either-
  - (a) declare the poll at that polling station to be void, appoint a day and fix the hours for taking a fresh poll at that polling station and direct the District Election Officer to notify the day so appointed and the hours so fixed in such manner as it may deem fit; or
  - (b) If satisfied that the result of a fresh poll at that polling station will not, in any way affect the result of the election or that the error or irregularity in procedure is not material, issue such directions to the District Election Officer as it may deem proper for further conduct and completion of the election.
- (3) In every case covered by clause (a) of sub-rule (2), the District Election Officer shall proceed to conduct the poll afresh, in accordance with the directions of the Election Commission and the provisions of rules 63-B to 63-S shall apply to such fresh poll.
- 63-W. Election Duty Ballot.- A person who is registered as a voter in a Municipality and by reason of his being deployed on election duty on the date of poll, is unable to vote at the polling station where he is entitled to vote, shall be known as a voter on election duty and his vote shall be recorded in the manner as provided in rule 63."
- 7. After rule 67, the following shall be added, namely:-
  - "67-A. Scrutiny and inspection of voting machines.-(1) The Returning Officer shall have the control units of the voting machines used at more than

one polling stations taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.

- (2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1), the candidate or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.
- (3) The Returning Officer shall satisfy himself that none of the voting machines have in fact been tampered with.
- (4) If the Returning Officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 63-F as may be applicable in respect of the polling station where that machine was used."
- 8. After rule 69, the following shall be added, namely:-

"69-A. Counting of votes when Electronic Voting Machine are used.- (1) After the Returning Officer is satisfied that a voting machine has been tampered with then he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled, and votes polled in favour of each candidates and "None of the above", shall be displayed on the display panel provided for the purpose in the unit:

Provided that no cover containing tendered ballot paper shall be opened and no such ballot paper shall be counted.

- (2) When the votes polled received by each candidate and "None of the above" are displayed on the control unit then the Returning Officer shall,-
  - (a) record separately the number of such votes polled in respect of each candidate and in favour of "None of the above" in part II on Form-18A;

- (b) complete Part-II of Form-18A in other respects and signed by the counting supervisor and also by the candidates or their election agents or their counting agents present; and
- (c) corresponding entries made in a result of counting sheet in Form-21A and the particulars so entered in the final result sheet Form-22A shall be announced."
- 9. After rule 73, the following shall be added, namely:-
  - "73-A. Sealing of voting machines.- (1) After the result of voting recorded in the control unit has been ascertained candidate wise and entered in Form-21A and 22A under clause (c) of sub-rule (2) of rule 69-A, the Returning Officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of the candidates or their election agents present, who may desire to affix their seals thereon, in such a way that the result of voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.
  - (2) The control unit so sealed shall be kept in a specially prepared box, on which the Returning Officer shall record the following particulars, namely:-
    - (a) the name of the Ward;
    - (b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;
    - (c) serial number of the control unit;
    - (d) date of poll; and
    - (e) date of counting.
  - (3) The provisions of rules 64 to 66 and 70 to 75 shall, so for as may be, apply in relation to voting by voting machines and any reference in those rules to:-
    - (a) ballot paper shall be construed as including a reference to such voting machine.
    - (b) any rule shall be construed as a reference to the corresponding rule in respect of rule 67-A or 69-A or 73-A, as the case may be."

- 10. After rule 77, the following rule shall be added, namely:-
  - "77-A. Custody of papers relating to election.-The District Election Officer shall keep in his custody the packets and used voting machines referred to in rules 63-R and 63-S and all other papers relating to the election."
- 11. After rule 78, the following rule shall be added, namely:-
  - "78-A. (1) Production and inspection of election papers.- Election paper in the custody of the District Election Officer-
    - (a) the packets of marked copies of the voter's list;
    - (b) the packets of tendered ballot papers along with their list in Form-17A;
    - (c) the list of challenged votes;
    - (d) used control units;
    - (e) registers of voters in Form-14A;
    - (f) any others papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packed;

shall not be opened and their contents shall not be inspected by or produced before any person or authority except a Competent Court or Authority.

- (2) The provisions of rules 76 and 79 shall, so for as may be, apply in relation to voting by voting machine and any reference in those rules to-
- (a) ballot paper shall be construed as including a reference to such voting machine; and
- (b) any rule shall be construed as a reference to the directions in respect of rule 77-A and sub-rule (1) of 78-A, as the case may be."

12. After Form-14, the following form shall be added, namely:-

#### "Form-14A

(See rule 63-J (1)(a))

#### **REGISTER OF VOTERS**

Election of	Mayo	r of Munic	ipal	Corporation/	Preside	nt of Mu	unicipa	I Council/N	lagar	Panchayat
·····;	and	Election	of	Councilor	from	Ward	No.		of	Municipal
Corporation	n/Cour	ncil/Nagar	P	anchayat	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Number	r and	d Name	of	Polling
Booth	•••••	Vo	ter's	List Part N	o		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Serial Number	Serial Number of voter in the voters' list	Signature/Thumb impression of voter	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			

Etc.

Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative."

13. After Form-15, the following form shall be added, namely:-

#### "Form-15A

(See rule 63-H (2)(c))

#### LIST OF CHALLENGED VOTES

Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat...... and Election of Councilor from Ward No. ...... of Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat......

Serial Number of	Name of the Voters	Particular of entry in Voter's List		Signature/ or thumb	
entry		Part Number of Voter's List	Voter's Serial Number	impression of the person challenged	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	4				

Name of the person challenged	Name of identifier if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Date	
	Signature of Presiding Officer
	Name
,	<u> </u>

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative."

14. After Form-16, the following form shall be added, namely:-

#### "Form-16A

(See rule 63-L (2))

#### DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat
I Son of
aged resident of Address
hereby declare that-
(a) I have not acted as companion of any other voter at any Polling Station
today.
(b) I will keep secret the vote recorded by me on behalf or
(Name) Serial No and Part No of Voter's
List
Place
Date
Countersigned Signature of Companion
Presiding Officer (Name)
Polling Station No.
+C. '1 CC' '. 1

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative."

15. After Form-17, the following form shall be added, namely:-

#### "Form-17A

(See rule 63-M (2))

#### LIST OF TENDERED VOTES

Panchayat.	of Mayor of Municip and Election n/Council/Nagar Pancha	of Councilor fro					
Number a	Number and Name of Polling Station						
Part numb	er of Voter's list		•••••				
Serial Number	Name of Voter	Serial Number of voters' list	Serial Number in Register of Voters	Signature/Thumb impression of voter			

Serial Number	Name of Voter	Serial Number of voters' list	Serial Number in Register of Voters (Form-14A) of person who has already Voted in Place of voter	Signature/Thumb impression of voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.	•			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

11.31

1	7	ล	te
ı	_	u	$\sim$

Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative."

16. After Form-18, the following from shall be added, namely:-

#### "Form-18A

(See rule 63-P)

### PART-1 ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Panchayat and Election of Council Corporation/Council/Nagar Panchayat	or from Ward Number	nicipal Council/Na of Munici	gar ipal
Number and Name of Polling Station			
Machine Used at the Polling Station	Control Unit-		
	Balloting Unit-		
1. Total Number of voters assigned to the l	Polling Station		
2. Number of voters as entered in the Regi	ster for voters (Form-14	JA)	
3. Number of voters not allowed to vote ur	nder sub- rule (6) of rule	e 63-K	
4. Total Number of votes recorded as per v	oting machine		
5. Whether the total Number of votes as	shown against item 4	tallies with the to	otal
Number of voter shown against item 2 mir	nus number of Voters n	ot allowed to votes	as
shown against item 3 or any discrepancy ne	oticed.	•••	
6. Number of voters to whom tendered ball	lot papers were issued u	ınder Rule 63-M	
7. Number of tendered ballot papers	Seri	al Number	
	From	То	
(a) received for use			
(b) issued to voters			
(c) not used and returned			•
8. Account of paper seals			
Serial Number			
FromTo			

1. Serial Number of paper seal supplied	. •						
FromTo							
2. Total Numbers of paper seal supplied	2. Total Numbers of paper seal supplied						
3. No. of paper seal used FromTo							
4. No. of unused paper seals returned to Returning Officer (deduct iter	m 3 from item 2)						
5. Serial number of damaged paper seal, if any Number							
•							
Signature of Polling Agents							
1.							
2.							
3.							
4.	•						
5.							
6.	•						
Date							
Place							
Signature of	Presiding Officer						
Name	••••						
Polling Stat	ion No						

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative.

## PART II RESULT OF COUNTING

Serial Number	Name of Candidates	Number of Votes recorded
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.	·	
5.		
6.		
7.		
8.		
9		
	Total	

Whether the total numbers of votes shown above tallies with the total Number of votes shown against item 5 of Part I or any discrepancy noticed between the two totals.

Date	
Place	
	Full Signature of Counting Supervisor
Candidate/Election agent/counting agent	Full Signature
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
Q	

Date.....

Place.....

Signature of Returning Officer"

17. After Form-21, the following form shall be added, namely:-

# "Form-21A" (See rule 69 A (2) (c)) RESULT OF COUNTING

	RESULT OF COUNT	ING
Panchayat.	of Mayor of Municipal Corporation/Pre And Election of Councilor from Wan/Council/Nagar Panchayat	
	Polling Station Number.	*******
1.		
Serial Number	Name of Candidate/None of the above	Number of valid votes cast in favour of the Candidate
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	·	·
9.		
*Mention	returns of "None of the above" after last car	ndidate
2. (One) T	Total Number of valid votes	
(Two)	Total Number of invalid votes	
(Three)	Total Number of votes cast	
(Four)	Total Number. of vote in favour of "None of	the above".
Place	· ····	,
Date		
	,	Signature of Counting Supervisor Name
	——————————————————————————————————————	Returning Officer (Municipality)

<sup>\*</sup>Strike off inappropriate alternative"

18. After Form-22, the following form shall be added, namely:-

#### "Form-22A

(See rule 69 A (2) (c))

#### FINAL RESULT SHEET

Election	of	Mayor	of	Municipal	Corpora	tion/Pr	residen	t of	Mur	nicipal	Cou	ncil/Naga	r
Panchaya	t	ar	id E	lection of (	Councilor	from	Ward	Num	ber .		of	Municipa	1
				r Panchayat			`*						
1			•	,									

Serial Number	Name of Candidate/None of the above	didate/None of valid		Number of valid votes cast in favour of the candidate/polling station wise			
		in favour of the candidate	Polling station Number	polling station Number	polling station Number		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1							
2.							
3.							

<sup>\*</sup>Mention returns of None of the above after lost candidate

- 2. (i) Total Number of valid votes
  - (ii) Total Number of valid votes cast
  - (iii) Total Number of valid E.D. votes
  - (iv) Total Number of invalid E.D. votes
  - (v) Total Number of E.D. votes cast
  - (vi) Total Number of vote in favour of "None of the above"

Place	•	•
•		Signature of Counting Supervisor
		Signature of Returning Officer Name"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, M. M. MINJ, Deputy Secretary.

